संख्या-24/2026/597पी/25-27-सिं0-4/001-82-डब्ल्यू-परि0-2019

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2026**

विषय: जनपद मीरजापुर में नूनौती बॉयी नहर के किमी0 0.000 से 3.200 तक आर0सी0सी0 पाइप लाइन बिछाने, नुनौती बॉयी नहर के किमी0 0.000 से किमी0 5.600 तक, नुनौती दांयी नहर के किमी0 0.000 से 2.200 तक तथा शोभऊ माइनर के किमी0 0.000 से 2.400 तक बैंक सुदृढीकरण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, आय व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-259/आई0बी0/4702/2025-2026, दिनांक 09 मई, 2025 तथा शासनादेश संख्या-38/2020/4545/19-27-सिं0-4/001-82(डब्ल्यू)परि0/2019, दिनांक 12.02.2020 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा शीर्षक 4702-00-101-0421-24 में जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत बन्धियों की पुनर्स्थापना/सुदढीकरण की परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष "**जनपद मीरजापुर में नूनौती बॉयी नहर के किमी0 0.000 से 3.200 तक आर0सी0सी0 पाइप लाइन बिछाने, नुनौती बॉयी नहर के किमी0 0.000 से किमी0 5.600 तक, नुनौती दांयी नहर के किमी0 0.000 से 2.200 तक तथा शोभऊ माइनर के किमी0 0.000 से 2.400 तक बैंक सुदृढीकरण की परियोजना**" हेतु धनराशि रू0 75.00 लाख (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **75,00,000 (** रुपये पचहत्तर लाख मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4702001010421** जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत विभिन्न बन्धियों की पुनर्स्थापना / सुदृढीकरण की परियोजना मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **6/2025/**बी-**1-352/**दस-**2025-231/2025,** दिनाँक-**27-**मार्च**, 2025** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-24/2026/597पी/25-27-सिं0-4/001-82-डब्ल्यू-परि0-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, मीरजापुर, उ0प्र0।

8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

10- नियोजन अनुभाग-3

11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।